

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

पीठासीन अधिकारी -संजय शर्मा

जी.सी.एम.एन. संख्या :-2019/00058

प्रार्थना पत्र संख्या 14/19

तारीख रजू 17.10.2019

आम जनता जयसिंहपुरा ग्राम पंचायत गोठडा तहसील खण्डार जिला सवाई माधोपुर
जरिये:-

1. रामकरण पुत्र सांवल्या बैरवा निवासी जयसिंहपुरा
2. भेरूलाल पुत्र रामनाथ गुर्जर निवासी जयसिंहपुरा
3. रामप्रसाद पुत्र गोपीलाल बैरवा निवासी जयसिंहपुरा
4. प्रहलाद पुत्र लक्षमण जाट निवासी जयसिंहपुरा
5. मदन पुत्र देवीलाल बैरवा निवासी जयसिंहपुरा
तहसील खण्डार जिला सवाई माधोपुर (राज0)

प्रार्थीगण

बनाम

1. रामकुंवार पुत्र चोखा जालि बैरवा निवासी जयसिंहपुरा तहसील खण्डार जिला सवाई माधोपुर (राज0)
2. आवंटन अधिकारी, उप जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर।
3. सरकार जरिये तहसीलदार खण्डार।

अप्रार्थीगण

उपस्थित - श्री सत्येन्द्र कुमार गोयल एडवोकेट

श्री गोविन्द प्रसाद मथुरिया एडवोकेट - प्रार्थी की ओर से

श्री कमलेश कुमार जैन एडवोकेट

- अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से

निर्णय

दिनांक 07.04.2026

राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम 1970 के नियम 14 (4) के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी संख्या-1 रामकुंवार पुत्र चोखा बैरवा निवासी जयसिंहपुरा तहसील खण्डार जिला सवाई माधोपुर के विरुद्ध प्रस्तुत किया है जिसके द्वारा दिनांक 18.10.75 को अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में ग्राम जयसिंहपुरा की भूमि ख0नं0 37 रकबा 5 बीघा किस्म चरागाह का आवंटन निरस्त करने हेतु पेश किया गया।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जरिये नोटि गयी। अप्रार्थी संख्या 1 जरिये वकील उपस्थित हुए। अदालत मातहत की मूल आवंटन पत्रा हुई। प्रकरण में बहस उभय पक्ष सुनी गई।

वकील प्रार्थीगण द्वारा आम जनता जयसिंहपुरा की ओर से लिखित बहस निर्णय की गई-

1. यह कि दिनांक 18.10.1975 की आराजी खसरा नं० 37 वाले ग्राम जयसिंहपुरा स्थित में से 5 बीघा भूमि का आवंटन अप्रार्थी रामकुंवार को उप जिलाधीश



गया, यह आवंटन नियमों के विपरीत किया गया होने व आवंटन नियमों का खुला उल्लंघन होने के कारण काबिले खारिज हैं।

2 यह कि किसी भी सरकारी अधोरिटी द्वारा कभी भी किसी चरागाह भूमि का आवंटन किसी भी व्यक्ति को किया जाना कानूनन अवैधानिक हैं।

3 यह कि स्वयं अप्रार्थी आवंटी रामकुंवार ने अपने लिए भूमि आवंटन चाहने हेतु जो आवेदन पत्र श्रीमान् सब डिविजनल ऑफिसर सवाई माधोपुर के यहां पेश किया उसमें स्वयं ने खसरा नं० 37/3 रकबा 5 बीघा किस्म चरागाह का आवंटन स्वयं के लिए चाहा है जो आवंटन प्रार्थना पत्र प्रारम्भ से ही प्रभावहीन है। क्योंकि अप्रार्थी द्वारा चरागाह भूमि का आवंटन चाहा है।

4 यह कि अप्रार्थी रामकुंवार द्वारा चरागाह भूमि के आवंटन हेतु पेश आवेदन पत्र पर पटवारी हल्का द्वारा जो रिपोर्ट पेश की गई उसमें भी भूमि को स्पष्ट रूप से चरागाह भूमि दर्शित किया गया है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण बिन्दू है। क्योंकि जिस भूमि के चरागाह होने की रिपोर्ट स्वयं हल्का पटवारी द्वारा की जा रही है उसे किसी भी दशा में आवंटित नहीं किया जा सकता है। चरागाह भूमि का आवंटन प्रारम्भ से ही काबिले खारिज हैं। हल्का पटवारी ने अपनी रिपोर्ट के बिन्दू संख्या 14 में खसरा नं० 37/3 किस्म चरागाह को आवंटित करने हेतु अपनी राय व्यक्त की है जो आवंटन नियमों का खुला उल्लंघन है आवंटी द्वारा अपने आवेदन पत्र में चरागाह भूमि का आवंटन चाहने और फिर उसी चरागाह का आवंटन हेतु पटवारी द्वारा राय रिपोर्ट देने के बावजूद उक्त दोनों तथ्यों पर गोर नहीं करके आवंटन कमेटी ने जो आवंटन किया है वह आवंटन रूल्स के विपरीत होने के कारण काबिले खारिज हैं।

5 यह कि किसी भी भूमि का आवंटन किया जाने से पूर्व लैण्ड होल्डर तहसीलदार द्वारा आवंटन योग्य भूमि की लिस्ट (सूची) तैयार कर उप जिलाधीश महोदय को मिजवायी जानी चाहिए थी उसके पश्चात् उप जिलाधीश व आवंटन कमेटी द्वारा आवंटन योग्य भूमियों के सम्बन्ध में उद्घोषणा प्रकाशित कर सार्वजनिक रूप से आवेदन पत्र मांगे जाने चाहिए थे जो प्रक्रिया नियमानुसार उक्त मामले में नहीं अपनाई गई जो आवंटन रूल 7 का स्पष्ट उल्लंघन है जिसे कारण किया गया आवंटन काबिले खारिज हैं।

6 यह कि आवंटित की गई भूमि आराजी खसरा नं० 37 वाके ग्राम जयसिंहपुरा की चरागाह भूमि रही है जो प्रारम्भ से ही ग्राम जयसिंहपुरा के मवेशियों के चरने के लिए चरागाह के रूप में काम में आती रही है। आवंटित की गई उक्त भूमि को आवंटी ने कभी काश्त नहीं किया है न ही कभी जोत लगाई है।

7. यह कि आवंटन दिनांक 18.10.75 के 35 वर्षों बाद आवंटी ने महज अपने नाम उक्त भूमि का आवंटन होने से भूमाफिया व्यक्तियों के साथ मिलकर व तहसील प्रशासन से सांठ गांठ कर आवंटित भूमि पर कब्जा नहीं होते हुए भी दिनांक 27.12.10 को गैर खातेदारी से खातेदारी अधिकार प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र तहसीलदार खण्डार के यहां पेश किया और तहसील प्रशासन से सांठ गांठ कर आवंटित भूमि पर आवंटन के दिन से ही कभी भी कब्जा नहीं होते हुए भी महज 2 दिन के भीतर ही दिनांक 30.12.10 को गैर खातेदारी से खातेदारी प्राप्त कर ली और कब्जा भूमि नहीं होते हुए भी दिनांक 30.12.10 को ही गलत तरीके से तरमीम के आदेश भी करवा लिये।

अति जिला कलेक्टर
माधोपुर

8. यह कि दिनांक 30.12.10 को गलत तरीके से करवाई गई तरमीम की जानकारी जयसिंहपुरा के ग्रामवासियों के होने पर आम जनता जयसिंहपुरा द्वारा उप जिला कलेक्टर, सवाई माधोपुर के यहां शिकायत की गई जिस पर जिला कलेक्टर द्वारा दिए गए आदेश पर दिनांक 01.02.11 को तहसीलदार, नायब तहसीलदार, भू अभिलेख निरीक्षक पटवारी हल्का मेईकलां, भूरीपहाडी, अक्षयगढ़ व गिरदावर की कमेटी द्वारा समस्त ग्रामवासियों की उपस्थिति में मौका देखा और मौके पर आवंटी या अन्य किसी व्यक्ति का किसी प्रकार की जोत या कोई कब्जा नहीं पाया जाना अपनी मौका रिपोर्ट दिनांक 01.02.11 के स्पष्ट रूप से दर्ज किया तथा उक्त फर्जी तरमीम के विरुद्ध आम जनता जयसिंहपुरा द्वारा श्रीमान् जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर के यहां पेश की गई अपील संख्या 27/11 में दिनांक 15.2.11 को न्यायालय श्रीमान् अति० जिला कलेक्टर, सवाई माधोपुर ने दिनांक 30.12.10 को की गई फर्जी तरमीम को दिनांक 01.02.11 की मौका रिपोर्ट को आधार मानकर तरमीम को निरस्त कर दिया अर्थात् आवंटी का आवंटन के समय से ही कब्जा काश्त नहीं होना माना इस आधार पर भी आवंटन नियमों के विपरीत होने के कारण काबिले खारिज है मौका रिपोर्ट दिनांक 01.02.11 व तरमीम निरस्ती आदेश दिनांक 15.02.11 पत्रावली में पेश हैं।

9. यह कि दिनांक 01.02.11 को तहसीलदार खण्डार आदि रेवेन्यू अधिकारियों द्वारा अपनी मौका रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से बताया कि खसरा नं० 37 में अप्रार्थी का कब्जा नहीं है साथ ही साथ राजस्व अधिकारियों ने दिनांक 01.02.11 को ही खसरा नं० 37 में कब्जा रखने वाले व्यक्तियों की सूची पर्चा रिपोर्ट अलग से तैयार की जिसमें विभिन्न अन्य लोगों का कब्जा होना बताया है जिस सूची में भी अप्रार्थी रामकुंवार का नाम नहीं होना इस तथ्य की भली भांति साबित करता है कि अप्रार्थी आवंटी का कभी खसरा नं० 37 में कब्जा नहीं रहा आवंटन नियमों के मुताबिक आवंटी का आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त होने पर ही आवंटन बहाल रह सकता है। कब्जा काश्त के अभाव में आवंटन काबिले खारिज है इन तथ्यों से साबित है कि आवंटी अप्रार्थी आज दिन तक आवंटन भूमि पर काबिज नहीं हुआ है इसलिए अप्रार्थी को किया गया आवंटन नियमों की पालना के अभाव में काबिले खारिज है।

10. यह कि आवंटन नियमों के मुताबिक आवंटन कमेटी द्वारा आवंटन योग्य या सिवायचक भूमि का ही नियमानुसार आवंटन किया जा सकता है जो आवंटन के दिनांक को राजस्व रिकॉर्ड में सिवायचक दर्ज है। दिनांक 18.10.75 को जिस भूमि का अप्रार्थी की आवंटन किया गया वह भूमि दिनांक 18.10.75 को रेवेन्यू रिकॉर्ड में चरागाह भूमि दर्ज थी और चरागाह भूमि का आवंटन किसी भी सूरत में नहीं किया जा सकता है इस प्रकार दिनांक 18.10.75 को अप्रार्थी को खसरा नं० 37 की 5 बीघा चरागाह भूमि का आवंटन, आवंटन नियमों की स्पष्ट अवहेलना होने के कारण काबिले खारिज है। दिनांक 18.10.75 का राजस्व रिकॉर्ड संलग्न है जो उक्त भूमि का आवंटन के दिनांक को चरागाह भूमि होना स्पष्ट रूप से साबित करता है जो कि आवंटन काबिले खारिज है।

11. यह कि इस प्रकार आवंटी अप्रार्थी द्वारा चरागाह भूमि का आवंटन हेतु आवेदन पत्र पेश करना, पटवारी हल्का द्वारा चरागाह भूमि के आवंटन हेतु अपनी राय रिपोर्ट पेश करना और पटवारी की चरागाह की रिपोर्ट पर भूमि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा की गई सिफारिश पर बिना भूमि की किस्म की सही जांच किए आवंटन नियमों की स्पष्ट अवहेलना कर अप्रार्थी को जो आवंटन किया गया है वह काबिले खारिज है।

अति. जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

12 यह कि आराजी खसरा नं० 37 वाके ग्राम जयसिंहपुरा प्रारम्भ से ही चरागाह भूमि रहा है जो गांव के मवेशियों के चारा पानी के काम आता रहा है। जिसमें से 30 बीघा भूमि जरिये नामान्तकरण संख्या 246 तस्दीक ग्राम पंचायत गोठडा दिनांक 02.09.76 से चरागाह से सिवायचक दर्ज हुई लेकिन अप्रार्थीगण को आवंटन दिनांक 18.10.75 को ही कर दिया गया जो आवंटन के दिन चरागाह भूमि ही थी इस कारण आवंटन चरागाह भूमि का होने के कारण काबिले खारिज हैं।


अन्त में वकील प्रार्थीगण ने आवंटन आदेश दिनांक 18.10.1975 खसरा नं० 37 रकबा 5 बीघा वाके ग्राम जयसिंहपुरा तहसील खण्डार जिला सवाई माधोपुर आवंटन नियमों के विपरीत किया गया होने के कारण खारिज फरमाने का निवेदन किया।

वकील अप्रार्थी सं० 1 ने वकील प्रार्थीगण द्वारा पेश की गई लिखित बहस का खण्डन करते हुए मौखिक बहस सुनाते हुए तर्क दिया कि अप्रार्थी सं० 1 रामकुंवार पुत्र चोखा जाति बैरवा निवासी जयसिंहपुरा तहसील खण्डार जिला सवाई माधोपुर को आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 18.10.1975 को चरागाह भूमि आवंटित की गई थी। उस समय चरागाह भूमि को आवंटन करने में कोई रोक नहीं थी। श्रीमान के न्यायालय में उक्त आवंटन के विरुद्ध लगभग 45 वर्ष पश्चात् प्रार्थना पत्र पेश किया गया है जोकि मियाद बाहर होने से खारिज योग्य है। अन्त में वकील अप्रार्थी सं० 1 ने प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को खारिज फरमाने का निवेदन किया।

उभय पक्ष की बहस सुनने उस पर मनन करने तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन करने पर यह स्पष्ट होता है कि अप्रार्थी संख्या 1 को दिनांक 18.10.75 को आवंटन हुई विवादित भूमि ख० नं० 37 रकबा 5 बीघा आवंटन के समय किस्म चरागाह भूमि थी। चरागाह भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा-16 में प्रतिबंधित होने के कारण आवंटन योग्य नहीं है। इस अतिरिक्त अप्रार्थी संख्या 1 को उक्त विवादित भूमि दिनांक 18.10.75 को आवंटन हुई तथा गैर खातेदारी से खातेदारी अधिकार दिनांक 30.12.2010 को प्राप्त हुए। खातेदारी अधिकार के आदेश दिनांक 30.12.2010 की पालना में की गई तरमीम की अपील मु० नं० 87/11 दिनांक 15.02.11 के द्वारा न्यायालय हाजा में किये जाने पर निर्णय दिनांक 05.11.15 के द्वारा उक्त अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया गया है। चूंकि वकील अप्रार्थी सं० 1 उक्त विवादित भूमि पर अप्रार्थी सं० 1 का कब्जा साबित बताने में विफल रहे हैं तथा उक्त विवादित भूमि की किस्म आवंटन के समय चरागाह होने के कारण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा-16 में प्रतिबंधित होने के कारण आवंटन योग्य नहीं है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) स्वीकार फरमाया जाकर आवंटन आदेश दिनांक 18.10.75 को निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार खण्डार को आदेशित किया जाता है कि उक्त विवादित भूमि आराजी ख० नं० 37 रकबा 5 बीघा को राजस्व अभिलेख में पुनः राजकीय भूमि (चरागाह) दर्ज की जाये।

निर्णय आज दिनांक 07.04.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(संजय शर्मा)

अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
सवाईमाधोपुर